बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

।। अधिसूचना ।।

आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण वार्षिक प्रतिवेदन) नियमावली, 2012

सं0सं0–02/स्था0/राज/आ0प्र0प्रा0–03/2010 (खंड–2)/ 2043 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक – 25.6.12

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (53/2005) की धारा –78 की उपधारा–2 के खण्ड(छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाती है, यथा :–

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार एवं आरंभ ।**

(1) यह नियमावली आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण वार्षिक प्रतिवेदन) नियमावली, 2012 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी ।

2. **परिभाषाएँ** :– इस नियमावली में, जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) ''अधिनियम '' से अभिप्रेत है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005(53/2005);

(ख) '' वार्षिक प्रतिवेदन'' से अभिप्रेत है धारा –70 की उपधारा 2 के अधीन राज्य प्राधिकार का वार्षिक प्रतिवेदन;

(ग) ''वित्तीय वर्ष '' से अभिप्रेत है किसी वर्ष की 1ली अप्रील से अगले वर्ष की 31 वीं मार्च तक की अवधि;

(घ) '' धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा ।

3. **वार्षिक प्रतिवेदन**

(1)राज्य प्राधिकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा तथा विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष उपस्थापित करने हेतु राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा ।

(2) वार्षिक प्रतिवेदन में पूर्ववर्ती वर्ष की गतिविधियों का पूर्ण विवरण अंतर्विष्ट रहेगा तथा राज्य प्राधिकरण वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियॉ राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा तथा राज्य सरकार को अग्रसारित प्रति सरकार द्वारा विधान मंडल के समक्ष उपस्थापित करवायेगी ।

(3) वार्षिक प्रतिवेदन में निम्नलिखित शामिल होंगे :–

(क) राज्य प्राधिकार के लक्ष्य, उद्देश्य विवरण एवं दृष्टि;

(ख) राज्य प्राधिकरण की भूमिका एवं कृत्य;

(ग) जिस वर्ष का प्रतिवेदन हो उस वर्ष के दौरान भौतिक एवं वित्तीय शर्तें वार्षिक लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ ;

(ध) पूर्ववर्ती वर्ष में राज्य प्राधिकरण की गतिविधियों का पूर्ण विवरण ; और

(ड0) कोई अन्य सूचनाएँ जिसे राज्य प्राधिकरण उचित समझे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(व्यास जी)
प्रधान सचिव